न्यायालय कलेक्टर(शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

273 / रीडर / 2015 — अलीराजपुर दिनाक 18/3/2015

प्रकरण कमांक 16 / बी–121 / 2014–15

: आदेश :

(आज दिनांक 17 मार्च 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार कठठीवाडा का जॉच प्रतिवेदन मय प्रकरण प्राप्त । प्रकरण का अवलोकन किया गया । दिनांक 31.07.2014 को खुमसिंह पिता भूरू जाति भीलाला उम्र 55 निवासी बोकडिया तहसील कठठीवाडा की कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से मृत्यु हो गई है । मृतक के वारिशान में उसकी पत्नि श्रीमति लालबू पति स्व खुमसिंह जाति भिलाला निवासी बोकडिया तहसील कठठीवाडा को आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00 / –(एक लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है ।

अनुविभागीय अधिकारी अलीराजपुर एवं तहसीलदार कठठीवाडा के अभिमत अनुसार मृतक के वारिशान मे उसकी पत्नि श्रीमति लालबू पति स्व खुमसिंह जाति भिलाला निवासी बोकडिया तहसील कठठीवाडा को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अन्तर्गत आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00 / –(एक लाख रुपये मात्र)स्वीकृत किये जाते है । म.प्र कृषि उपज मण्डी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम 2000, नियम 7 एवं संशोधित आदेश कमाक / बोर्ड / योजना / गै.त. / मृ.कृ.जी.क. यो. / 2171 / भोपाल दिनांक 06.9.2012 के विहित प्रावधानो अन्तर्गत कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से आर्थिक अनुदान राशि रूपये 1,00,000–00 / –(एक लाख रुपये मात्र) आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अनुदान राशि आहरण कर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरण की जावे ।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क / 274 / रीडर / 2015 — अलीराजपुर दिनांक 18/3/2015

प्रतिलिपिः–

1– सहायक संचालक ऑचलिक कार्यालय कृषि विपणन बोर्ड,इंदौर की ओर सूचनार्थ।
2– प्रभारी अधिकारी (वित्त–2 / राहत शाखा) जिला अलीराजपुर की ओर राशि आहरण हेतु।
3– जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
4– उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला अलीराजपुर ।
5– सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।
7– तहसीलदार कठठीवाडा ।
8– सचिव कृषि उपज मंडी अलीराजपुर ।
9– सबंधित (आवेदक) श्रीमति लालबू पति स्व खुमसिंह जाति भिलाला निवासी बोकडिया तहसील कठठीवाडा की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर